



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/डीओआर/2025-26/184

डीओआर.एसओजी(एसपीई).आरईसी.सं.103/13.03.00/2025-26

28 नवंबर, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2025 (17 जून, 2026 तक अद्यतन)

विषय-सूची

अध्याय I : प्रारंभिक	3
ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	3
बी. उद्देश्य	3
सी. प्रयोज्यता	3
डी. परिभाषाएँ	3
अध्याय II : सामान्य दिशानिर्देश (ब्याज दर ढांचा)	6
अध्याय III : घरेलू रूप में जमा	8
ए. घरेलू चालू खाते पर ब्याज दर	8
बी. घरेलू बचत जमा पर ब्याज दर	8
सी. घरेलू मियादी जमा पर ब्याज दर	8
डी. घरेलू जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान	9
ई. अतिदेय घरेलू जमाराशियों पर ब्याज	10
एफ़. अस्थायी दर घरेलू मियादी जमा	11
जी. घरेलू बचत जमा पर ब्याज के भुगतान की आवधिकता	11
एच. दिवंगत जमाकर्ता के घरेलू जमा खाते पर देय ब्याज	11
आई. किसान के समग्र नकद ऋण खाते में न्यूनतम ऋण शेष पर ब्याज का भुगतान करने का विवेकाधिकार	11
जे. घरेलू मियादी जमा के समयपूर्व आहरण पर जुर्माना	11
अध्याय IV : अनिवासियों का रूप में जमा	13
ए. रुपया जमा पर ब्याज दर - अनिवासी	13
बी. ग्रहणाधिकार को चिह्नित करने पर प्रतिबंध	14
सी. अनिवासी बाहरी (एनआरई) जमाराशियों का समयपूर्व आहरण पर जुर्माना	14
डी. दिवंगत जमाकर्ता के अनिवासी बाह्य (एनआरई) मियादी जमा खाते पर देय ब्याज	15
अध्याय V : विदेशी मुद्रा जमा	16

ए. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना.....	16
बी. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमा पर ब्याज की गणना का तरीका	17
सी. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमा के नवीकरण पर ब्याज की गणना	18
डी. दिवंगत विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमाकर्ता की जमा राशि पर देय ब्याज	18
ई. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमा पर ब्याज का भुगतान	19
एफ. स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} खातों को निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खातों / निवासी रुपया खातों में परिवर्तित करना - ब्याज का भुगतान	19
जी. विदेशी मुद्रा जमा का समयपूर्व आहरण.....	20
एच. विदेशी मुद्रा जमा का समयपूर्व आहरण पर जुर्माना.....	20
आई. निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना	20
अध्याय VI : निषेध और छूट.....	22
ए. निषेध	22
बी. छूट	23
अनुसूची- I.....	25
अध्याय VII : निरसन और अन्य प्रावधान	26
ए. निरसन और बचाव.....	26
बी. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं.....	26
सी. व्याख्याएं.....	27

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा इसके बाद निर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I: प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - जमाओं पर ब्याज दर) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

बी. उद्देश्य

3. यह निदेश लघु वित्त बैंकों को जमाओं पर ब्याज दर के संबंध में अपनी नीतियां तैयार करते समय पालन करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं।

सी. प्रयोज्यता

4. यह निदेश लघु वित्त बैंकों (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'बैंक(कों)' और व्यक्तिगत रूप से 'बैंक' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

डी. परिभाषाएँ

5. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, यहां दिए गए पदों का अर्थ निम्नानुसार होगा:

(1) 'वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर)' का अर्थ संबंधित मुद्रा के लिए किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत एआरआर से है, जैसा कि [08 जुलाई 2021 को केंका. एफ़एमआरडी. डीआईआरडी. एस 39/14.02.001 /2021-22](#) के माध्यम से जारी लिबोर (LIBOR) पारगमन के लिए रोडमैप पर आरबीआई परिपत्र में निर्धारित है।

(2) 'थोक जमा' का अर्थ 3 करोड़ रुपये और उससे अधिक की सिंगल रुपी मियादी जमाओं है।

(3) 'कम्पोजिट कैश क्रेडिट' का अर्थ है एक प्रकार का ऋण उत्पाद जिसमें किसान के हितों का ध्यान रखने के लिए डिज़ाइन किए गए पूरी तरह से बचत मॉड्यूल के साथ नकद ऋण सीमा होती है।

(4) 'चालू खाता' का अर्थ है गैर-ब्याज वाले मांग जमा का एक रूप जहां निकासी, से खाते में शेष राशि

के आधार पर अथवा किसी विशेष सहमत राशि तक, चाहे जितनी बार किए जा सकते हों की अनुमति दी जाती है और इसे अन्य जमा खातों को भी शामिल करने के लिए माना जाएगा जो न तो बचत जमा हैं और न ही मीयादी जमा हैं।

(5) 'दैनिक उत्पाद' का अर्थ है दिन की शेष राशि के अंत पर लागू ब्याज।

(6) 'मांग पर जमा' का अर्थ है, बैंक द्वारा प्राप्त की गई जमा, जो मांग पर वापस ली जा सकती है।

(7) 'घरेलू रुपया जमा' का अर्थ है भारत में चालू खाता, बचत जमा अथवा मियादी जमा के रूप में रखी गई रुपया जमा।

(8) 'परिवार' में बैंक की सेवा/कर्मचारी विनियमों में उल्लिखित सदस्य शामिल हैं।

(9) 'एफसीएनआर (बी) खाता' का अर्थ है एक विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जिसे [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियम, 2016](#) में संदर्भित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(10) 'हिंदू अविभाजित परिवार' (एचयूएफ) का अर्थ है एचयूएफ जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत परिभाषित किया गया है।

(11) 'व्यक्ति' का अर्थ है एक प्राकृतिक व्यक्ति।

(12) 'बैंक के स्टाफ के सदस्य' का अर्थ है नियमित आधार पर नियोजित व्यक्ति, चाहे वह पूर्णकालिक हो अथवा अंशकालिक, और इसमें परिवीक्षा पर भर्ती किया गया व्यक्ति शामिल है अथवा एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा प्रतिनियुक्ति पर अनुबंध पर नियोजित किया गया है और सम्मेलन की किसी भी योजना के अनुसरण में लिया गया एक कर्मचारी शामिल है, लेकिन इसमें आकस्मिक आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है।

(13) 'नोटिस डिपॉजिट' का अर्थ है विशिष्ट अवधि के लिए मियादी जमा, लेकिन कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग दिन का नोटिस देने पर वापस लिया जा सकता है।

(14) 'एनआरई खाता' का अर्थ है एक अनिवासी बाहरी जमा खाता जिसे [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियम, 2016](#) में संदर्भित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(15) 'एनआरओ खाता' का अर्थ है एक अनिवासी साधारण जमा खाता जिसे [विदेशी मुद्रा प्रबंधन \(जमा\) विनियम, 2016](#) में संदर्भित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(16) 'पुनर्निवेश जमा' उन जमाओं को संदर्भित करता है जहां ब्याज (जब और जब देय हो) परिपक्वता तक उसी अनुबंधित दर पर पुनर्निवेश किया जाता है जो परिपक्वता तिथि पर मूल राशि के साथ आहरण योग्य है।

(17) 'बैंक के स्टाफ का सेवानिवृत्त सदस्य' से एक कर्मचारी अभिप्रेत है जो सेवानिवृत्ति पर अथवा अन्यथा सेवानिवृत्त हो रहा है जैसा कि बैंक के सेवा/कर्मचारी विनियमों में प्रदान किया गया है।

(18) 'आरएफसी खाता' का अर्थ है एक निवासी विदेशी मुद्रा खाता जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियम, 2016 में संदर्भित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(19) 'बचत जमा' का अर्थ ब्याज देने वाली मांग जमा का एक रूप है जो एक जमा खाता है, चाहे उसे 'बचत खाता', 'बचत बैंक खाता', 'बचत जमा खाता', 'बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)' अथवा किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो निकासी की संख्या के साथ-साथ किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत निकासी की राशि के संबंध में प्रतिबंधों के अधीन है।

(20) 'मियादी मियादी जमा' का अर्थ है बैंक द्वारा निश्चित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज-युक्त जमा और इसमें आवर्ती / संचयी / वार्षिकी / पुनर्निवेश जमा और नकद प्रमाणपत्र जैसी जमाएं भी शामिल होंगी।

(21) अन्य सभी अभिव्यक्तियों का, जब तक कि उन्हें इसमें परिभाषित न किया गया हो, वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 अथवा किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन के तहत अथवा वाणिज्यिक शब्दावली में, जैसा भी मामला हो, प्रयोग किया गया है।

अध्याय II: सामान्य दिशानिर्देश (ब्याज दर ढांचा)

6. एक बैंक अपने घरेलू अनिवासी- साधारण (एनआरओ), अनिवासी (बाहरी) (एनआरई) और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) लेखा (बैंक) योजना {एफसीएनआर (बी)} जमा खाते में स्वीकार की गई अथवा नवीनीकृत जमाराशियों (चालू खाता जमाओं के अलावा) पर ब्याज का भुगतान इन निदेशों में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर करेगा:

(1) निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की किसी समिति जिसको शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, के द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्यापक नीति होगी:

(i) जमा पर ब्याज दर।

(ii) मियादी जमाओं की समय से पहले निकासी के लिए जुर्माना, जिसमें आंशिक समय से पहले निकासी भी शामिल है।

(iii) एनआरई मियादी जमाराशियों की समय से पहले निकासी के लिए जुर्माना।

(iv) एफसीएनआर (बी) मियादी जमाराशियों की समय से पहले निकासी के लिए जुर्माना।

(2) जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एक समान होंगी और जमाराशियों पर भुगतान किए गए ब्याज के मामले में, एक जमा राशि और समान राशि की दूसरी जमा राशि के बीच, उसी तारीख को स्वीकार किए जाने वाले किसी भी कार्यालय में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

(3) जमाराशियों पर देय ब्याज दरें पूरी तरह से अग्रिम रूप से प्रकट ब्याज दरों की अनुसूची के अनुसार होंगी।

(4) पर्यवेक्षी समीक्षा की सुविधा के लिए बैंक अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली में थोक जमा ब्याज दर कार्ड बनाए रखेगा।

(5) दरें जमाकर्ताओं और बैंक के बीच बातचीत के अधीन नहीं होंगी।

(6) प्रदान ब्याज दरें उचित, सुसंगत, पारदर्शी होंगी और आवश्यकता पड़ने पर पर्यवेक्षी समीक्षा/जांच के लिए उपलब्ध होंगी।

(7) जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान से जुड़े सभी लेन-देनों को रुपया जमा के लिए निकटतम रुपये और एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के लिए दो दशमलव स्थानों पर पूर्णांकित किया जाएगा।

(8) गैर-कारोबारी कार्य दिवस पर परिपक्व होने वाली जमा राशि

(i) यदि कोई मियादी जमा किसी गैर-कारोबारी कार्य दिवस पर भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है, तो बैंक गैर-कारोबारी कार्य दिवस के लिए मूल मूल जमा राशि पर मूल रूप से अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान करेगा, जो जमा की निर्दिष्ट अवधि की परिपक्वता की तारीख और अगले कार्य दिवस पर जमा की आय के भुगतान की तारीख के बीच होगा।

(ii) पुनर्निवेश जमा और आवर्ती जमाओं के मामले में, एक बैंक परिपक्वता मूल्य पर, बीच के गैर-कारोबारीकार्य दिवस के लिए, ब्याज का भुगतान करेगा।

(9) किसी बैंक की शाखा के दूसरे बैंक में अंतरण का परिणाम

ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में बैंक शाखाओं के अधिग्रहण के कारण एक बैंक शाखा से दूसरी बैंक शाखा में हस्तांतरित जमा खातों को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:

- (i) जमा खातों को नए बैंक में स्थानांतरित माना जाएगा और ग्राहक और बैंक शाखा जिसे लिया जा रहा है, के बीच सहमत अनुबंध की शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा।
- (ii) ब्याज की वही दर ऐसी अंतरित जमाराशियों पर परिपक्वता तक देय होगी, जो शाखा के अधिग्रहण के समय देय थी।

नोट: पैराग्राफ 6(9) के सीमित प्रयोजन के लिए, 'बैंक' के अर्थ में वाणिज्यिक बैंक, लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

अध्याय III: घरेलू रुपया जमा

ए. घरेलू चालू खाते पर ब्याज दर

7. चालू खातों में रखी गई जमाराशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि दिवंगत व्यक्तिगत जमाकर्ता अथवा एकल स्वामित्व कंपनी के नाम पर चालू खाते में पड़ी शेष राशि जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से लेकर दावेदार (दावेदारों) को भुगतान की तारीख तक, भुगतान की तारीख पर लागू ब्याज की दर पर ब्याज आकर्षित करेगी।

बी. घरेलू बचत जमा पर ब्याज दर

8. इन निदेशों के पैरा 6 में निर्धारित शर्तों के अलावा , घरेलू रुपया बचत जमा पर ब्याज निम्नलिखित के अधीन होगा:

(1) ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर निम्नानुसार की जाएगी:

(i) ₹1 लाख तक की शेष राशि पर एक समान ब्याज दर निर्धारित की जाएगी, भले ही इस सीमा के भीतर खाते में कोई भी राशि हो।

(ii) किसी भी दिन के अंत में 1 लाख रुपये से अधिक बचत खाता शेष राशि पर ब्याज की अलग-अलग दरें प्रदान की जा सकती हैं।

सी. घरेलू मियादी जमा पर ब्याज दर

9. इन निदेशों के पैरा 6 में निर्धारित शर्तों के अलावा , सावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक कारणों से भिन्न होंगी:

(1) जमा की अवधि

बैंक को इस शर्त के अधीन जमा की परिपक्वता/अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि प्रस्तावित जमा की न्यूनतम अवधि सात दिन होगी।

(2) जमा का आकार

विभेदक ब्याज दर केवल थोक जमाओं पर दी जाएगी।

बशर्ते कि बैंक मियादी जमा योजना, 2006 के आधार पर बनाई गई जमा योजनाओं पर विभेदक ब्याज लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि किसी बैंक द्वारा पूंजीगत लाभ लेखा योजना, 1988 के तहत प्राप्त जमाराशियों पर विभेदक ब्याज लागू नहीं होगा।

(3) समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता

एक बैंक को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना मियादी जमाओं का प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता होगी।

बशर्ते कि बैंक द्वारा व्यक्तियों से (अकेले अथवा संयुक्त रूप से धारित) ₹1 करोड़ और उससे कम की राशि के लिए स्वीकार किए गए सभी मियादी जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी।

सी.1 समय से पहले निकासी पर ब्याज का भुगतान

10. परिपक्वता तिथि से पहले आहरित मियादी जमाओं पर लागू ब्याज दरें निम्नानुसार होंगी:

- (1) ब्याज का भुगतान उस राशि और अवधि पर लागू दर पर किया जाएगा जिसके लिए जमा बैंक के पास रही न कि अनुबंधित दर पर।
- (2) जहां पैराग्राफ 9 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के पूरा होने से पहले जमा की समय से पहले निकासी होती है वहां किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा,।

डी. घरेलू जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान

11. एक बैंक, अपने विवेक पर, बैंक के कर्मचारियों और उनके विशिष्ट संघों के साथ-साथ अध्यक्ष, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, अथवा एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त ऐसे अन्य कार्यपालकों की जमाराशियों पर बचत अथवा मियादी जमा पर ब्याज दरों की अनुसूची में उल्लिखित ब्याज दर के अलावा प्रति वर्ष एक प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करेगा:

- (1) अतिरिक्त ब्याज तब तक देय है जब तक कि व्यक्ति इसके लिए पात्र रहता है और पात्र न होने की स्थिति में, तो मियादी जमा खाते की परिपक्वता तक देय रहेगा ।
- (2) समामेलन की योजना के अनुसार पदभार ग्रहण किए गए कर्मचारियों के मामले में, अतिरिक्त ब्याज की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अतिरिक्त ब्याज के साथ संविदात्मक दर पर ब्याज दर से अधिक न हो, जिसकी अनुमति दी जा सकती थी यदि ऐसे कर्मचारी मूल रूप से बैंक द्वारा नियोजित थे।
- (3) किसी अन्य बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कर्मचारियों के मामले में, जिस बैंक से उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है, वह प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान इसके साथ खोले गए जमा खाते के संबंध में अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकता है।
- (4) निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर अथवा निश्चित अवधि के संविदा पर लिए गए व्यक्तियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा की अवधि की समाप्ति पर लाभ मिलना बंद हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(5) बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें बैंक कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य नहीं हैं, अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे।

(6) संबंधित जमाकर्ता से घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद निम्नलिखित जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान यह घोषित करते हुए किया जा सकता है कि जमा की गई धनराशि अथवा जो समय-समय पर ऐसे खाते में जमा की जा सकती है, वह जमाकर्ता की है:

(i) बैंक के स्टाफ के सदस्य अथवा सेवानिवृत्त सदस्य, अथवा अकेले अथवा संयुक्त रूप से किसी भी सदस्य अथवा अपने परिवार के सदस्यों के साथ, बशर्ते कि स्टाफ सदस्य/सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्य प्रमुख खाताधारक हो; अथवा

नोट: बैंक के कर्मचारियों को स्वीकार्य अतिरिक्त ब्याज का भुगतान अदालत द्वारा नाबालिग बच्चे को दिए गए मुआवजे (जो नाबालिग बच्चे और माता-पिता के संयुक्त नाम पर जमा किया जाएगा) पर नहीं किया जाएगा क्योंकि पैसा नाबालिग बच्चे का है, न कि बैंक के कर्मचारियों का।

(ii) किसी दिवंगत सदस्य के पति अथवा पत्नी अथवा दिवंगत सेवानिवृत्त सदस्य के पति अथवा पत्नी; और

नोट: बच्चे (नाबालिग सहित) बैंक के कर्मचारियों के दिवंगत सदस्य को स्वीकार्य अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं हैं।

(iii) एसोसिएशन अथवा निधि, जिसके सदस्य बैंक के कर्मचारी हैं।

12. एक बैंक, अपने विवेक पर, विशेष रूप से निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए मियादी जमा योजनाएं तैयार कर सकता है, जो किसी भी आकार की सामान्य जमाओं की तुलना में उच्च और निश्चित ब्याज दरों की पेशकश करता है।

बशर्ते कि यह सुविधा एचयूएफ अथवा एचयूएफ के कर्ता के नाम पर मियादी जमा पर प्रदान नहीं की जाती है, भले ही कर्ता निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिक हो।

13. कोई बैंक, अपने विवेक से, अपने निवासी भारतीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, को बैंक के कर्मचारियों के सेवानिवृत्त सदस्य होने के आधार पर उन्हें देय अतिरिक्त ब्याज के अलावा वरिष्ठ नागरिकों को स्वीकार्य अतिरिक्त ब्याज दरों का लाभ दे सकता है।

ई. अतिदेय घरेलू जमाराशियों पर ब्याज

14. अतिदेय मियादी जमाराशियों के नवीकरण पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर इन निदेशों के पैरा 6 में निहित शर्तों के अधीन होगी।

15. यदि कोई मियादी जमा (टीडी) परिपक्व हो जाती है और आय का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक

के पास दावा न की गई राशि पर बचत खाते पर लागू ब्याज दर अथवा परिपक्व टीडी पर संविदागत ब्याज दर, जो भी कम हो, पर लागू ब्याज दर होगी।

एफ़. अस्थिर दर घरेलू मियादी जमा

16. अस्थिर दर घरेलू मियादी जमाओं को सीधे देखने योग्य और पारदर्शी बाजार निर्धारित बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा जाएगा।

जी. घरेलू बचत जमा पर ब्याज के भुगतान की आवधिकता

17. बचत जमा पर ब्याज बैंक द्वारा तिमाही अथवा उससे कम अंतराल पर जमा किया जाएगा।

18. प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा प्रीज किए गए बचत बैंक खातों सहित बचत बैंक खातों पर ब्याज नियमित आधार पर जमा किया जाएगा, भले ही खाते में परिचालन किसी भी प्रकार का हो।

एच. दिवंगत जमाकर्ता के घरेलू जमा खाते पर देय ब्याज

19. दिवंगत व्यक्तिगत जमाकर्ता अथवा दो अथवा दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं के नाम पर धारित परिपक्व जमाराशियों पर ब्याज की दर, जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई है, जमाराशियों पर ब्याज दर पर व्यापक नीति के अनुसार और इन निदेशों के पैरा 6 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

आई. किसी किसान के समग्र नकद ऋण खाते में न्यूनतम ऋण शेष पर ब्याज का भुगतान करने का विवेकाधिकार

20. प्रत्येक कैलेंडर माह की 10 तारीख से अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान बैंक में रखे गए किसान के समग्र नकद ऋण खाते में न्यूनतम ऋण शेष पर ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान इन निदेशों के पैरा 6 में दी गई शर्तों के अधीन किया जाएगा।

जे. घरेलू मियादी जमा की समयपूर्व आहरण पर जुर्माना

21. मियादी जमाराशियों की समयपूर्व आहरण के लिए दंड के संबंध में एक व्यापक नीति होगी, जिसमें आंशिक समय से पहले निकासी भी शामिल है, जिसे निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की किसी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

22. जमाराशियों की स्वीकृति के समय जुर्माने के घटकों को स्पष्ट रूप से जमाकर्ताओं के ध्यान में लाया जाएगा। यदि नहीं, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

23. दिवंगत जमाकर्ताओं अथवा संयुक्त खाताधारकों के दावेदार (दावेदारों) के अनुरोध पर मियादी जमा की राशि के विभाजन के मामले में, मियादी जमा की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया

जाएगा यदि अवधि और कुल राशि जमा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

24. समयपूर्व आहरण के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जहां इन निदेशों के पैरा 6(9) में उल्लिखित बैंक की शाखा के जमाकर्ता किसी अन्य बैंक को कारोबार के अंतरण के परिणामस्वरूप जमा की समयपूर्व आहरण करना चाहते हैं।

अध्याय IV: अनिवासियों का रुपये में जमा

25. एनआरई और एनआरओ जमाराशियों के तहत अनिवासियों की रुपया जमा केवल उन बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएगी जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत प्राधिकृत हैं।

ए. रुपया जमा पर ब्याज दर - अनिवासी

26. एनआरई/एनआरओ जमा योजना के तहत स्वीकृत अथवा नवीनीकृत धन की जमा राशि पर ब्याज आगामी पैराग्राफ में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर होगा:

- (1) ब्याज दरें इन निदेशों के पैरा 6 में निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।
- (2) एनआरई जमा/एनआरओ जमाराशियों के तहत बचत जमाराशियों पर ब्याज दरें इन निदेशों के पैराग्राफ 8 के अनुसार होंगी।
- (3) एनआरई/एनआरओ मियादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक कारणों से भिन्न होंगी:

(i) जमा की अवधि

बैंक को इस शर्त के अधीन जमा की परिपक्वता/अवधि निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी कि एनआरई मियादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष होगी और एनआरओ मियादी जमाराशियों की अवधि सात दिन होगी।

(ii) जमा का आकार

विभेदक ब्याज दर केवल थोक जमाओं पर दी जाएगी।

(iii) समय से पहले निकासी विकल्प की अनुपलब्धता

बैंक को समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना एनआरई/एनआरओ मियादी जमा का प्रस्ताव करने की स्वतंत्रता होगी।

बशर्ते कि ₹1 करोड़ और उससे कम की राशि के लिए व्यक्तियों (अकेले अथवा संयुक्त रूप से धारित) से स्वीकार किए गए सभी एनआरई/एनआरओ मियादी जमाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा होगी।

- (4) एनआरई/एनआरओ जमाराशियों पर ब्याज दरें तुलनीय घरेलू रुपया मियादी जमाराशियों¹ पर बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।

¹ बैंकों द्वारा जुटाए गए, तीन साल और उससे अधिक समय के लिए, नए एनआरई जमा (जिनमें परिपक्वता पर नवीकरण की गई जमाएं भी शामिल हैं), पर मिलने वाली ब्याज दरों से जुड़ी पाबंदी को, 17 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से हटा लिया गया है। एनआरओ खाते से एनआरई खाते में

किया गया कोई भी अंतरण इस छूट के लिए योग्य नहीं होगा।

(5) बैंक के अपने कर्मचारी अथवा वरिष्ठ नागरिक होने के कारण जमाराशियों पर अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ एनआरई और एनआरओ जमाराशियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

(6) बचत जमाराशियों पर ब्याज बैंक द्वारा तिमाही अथवा उससे कम अंतराल पर जमा किया जाएगा।

(7) यदि कोई एनआरई खाताधारक, भारत लौटने के तुरंत बाद, एनआरई मियादी जमा को निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में बदलने का अनुरोध करता है, तो ब्याज का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

(i) यदि एनआरई जमा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए नहीं चला है, तो ब्याज का भुगतान आरएफसी खातों में रखी बचत जमाराशियों पर देय दर से अधिक नहीं होगा।

(ii) अन्य सभी मामलों में, ब्याज का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जाएगा।

बी. ग्रहणाधिकार को चिह्नित करने पर प्रतिबंध

27. बैंक एनआरई बचत जमाराशियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार के ग्रहणाधिकार को चिह्नित नहीं करेगा।

सी. अनिवासी बाहरी (एनआरई) जमाराशियों की समयपूर्व आहरण पर जुर्माना

28. निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की किसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं के द्वारा अनुमोदित एनआरई मियादी जमाराशियों का समयपूर्व आहरण के लिए दंड के संबंध में एक व्यापक नीति होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

(1) जमाराशियों की स्वीकृति के समय जुर्माने के घटकों को स्पष्ट रूप से जमाकर्ताओं के ध्यान में लाया जाएगा।

(2) आरएफसी खाते में परिवर्तन करने के लिए एनआरई मियादी जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(3) एनआरई जमा को एफसीएनआर (बी) जमा में बदलने के लिए समयपूर्व आहरण के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और इसके विपरीततया ।

(4) इन निदेशों के पैरा 6(9) में उल्लिखित बैंक की शाखा के जमाकर्ता किसी अन्य पैराग्राफ बैंक को कारोबार के अंतरण के परिणामस्वरूप जमा की समयपूर्व आहरण करना चाहते हैं वहां समयपूर्व आहरण

¹ इसे 17 जून, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – जमाओं पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026 (दिनांक 17 जून, 2026) के तहत शामिल किया गया है।

के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

डी. दिवंगत जमाकर्ता के अनिवासी बाहरी (एनआरई) मियादी जमा खाते पर देय ब्याज

29. यदि किसी दिवंगत जमाकर्ता के एनआरई मियादी जमा खाते के दावेदार निवासी हैं, तो परिपक्वता पर जमा को घरेलू रुपया मियादी जमा के रूप में माना जाएगा और ब्याज का भुगतान बाद की अवधि के लिए समान परिपक्वता की घरेलू मियादी जमा पर लागू दर पर किया जाएगा।

अध्याय V: विदेशी मुद्रा जमा

30. एफसीएनआर (बी) योजना के तहत विदेशी मुद्रा जमा केवल उन बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाएंगे जो समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत अधिकृत हैं।

ए. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

31. एफसीएनआर (बी) योजना के तहत स्वीकार की गई अथवा नवीनीकृत की गई राशि की जमा राशि पर ब्याज आगामी पैरा में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होगा:

(1) ब्याज दरें इन निदेशों के पैरा 6 में निर्धारित शर्तों के अधीन होंगी।

(2) एफसीएनआर (बी) योजना के तहत मियादी जमाओं पर ब्याज दरें निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक कारणों से भिन्न होंगी:

(i) जमा की अवधि

एफसीएनआर (बी) योजना के तहत मियादी जमा के लिए परिपक्वता अवधि निम्नानुसार होगी:

ए. एक वर्ष और उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम;

बी. दो साल और उससे अधिक लेकिन तीन साल से कम;

सी. तीन साल और उससे अधिक लेकिन चार साल से कम;

डी. चार साल और उससे अधिक लेकिन पांच साल से कम; और

ई. केवल पांच साल।

बशर्ते कि कोई भी बैंक पांच वर्षों से अधिक अवधि वाली एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को स्वीकार अथवा नवीनीकृत नहीं करेगा और एफसीएनआर (बी) योजना के तहत कोई आवर्ती जमा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) जमा का आकार

एक बैंक, अपने विवेक पर, मुद्रा-वार न्यूनतम मात्रा का निर्णय लेगा जिस पर ब्याज की अंतर दरें प्रस्तावित की जा सकती हैं।

(3) सभी जमाराशियों पर ब्याज दरें, जिनमें ब्याज की अलग-अलग दरें भी शामिल हैं, निम्नलिखित पैराग्राफ 31(7) में निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होंगी।

(4) अस्थायी दर जमा पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए स्वैप दरों की सीमा के भीतर किया जाएगा और सावधि दर जमा के मामले में, ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता के लिए ओवरनाइट अल्टरनेटिव रेफरेंस दर (एआरआर) की सीमा के भीतर किया जाएगा।

(5) सभी अस्थायी दर जमा के लिए ब्याज रीसेट अवधि छह महीने होगी।

(6) पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर संबंधित मुद्रा/स्वैप दरों के लिए ओवरनाइट एआरआर अगले महीने में प्रभावी होने वाली ब्याज दरों के लिए अधिकतम दरों को तय करने के लिए आधार बनेगा।

(7) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरों की सीमा निम्नानुसार होगी:

जमा की अवधि	अधिकतम दर
एक साल से अधिक और तीन साल से कम	संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट एआरआर प्लस 250 आधार अंक
तीन साल और उससे अधिक और पांच साल तक	संबंधित मुद्रा/स्वैप के लिए ओवरनाइट एआरआर प्लस 350 ² आधार अंक

² बैंकों द्वारा जुटाए गए, तीन साल और उससे अधिक और पांच साल तक के समय के लिए, नए एफसीएनआर(बी) जमाओं (जिनमें परिपक्वता पर नवीकरण की गई जमाएं भी शामिल हैं) पर लागू ब्याज दर की अधिकतम सीमा को 17 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से हटा लिया गया हैⁱⁱ।

(8) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें तय करने के लिए फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा उद्धृत/प्रदर्शित संबंधित मुद्रा/स्वैप दरों का इस्तेमाल किया जाएगा।

बी. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमा पर ब्याज की गणना का तरीका

32. योजना के तहत स्वीकार की गई जमा राशि पर ब्याज की गणना 360 दिनों से एक वर्ष के आधार पर की जाएगी।

33. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना और भुगतान प्रत्येक 180 दिनों के अंतराल पर और उसके बाद शेष वास्तविक दिनों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते कि चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ परिपक्वता पर ब्याज प्राप्त करने का विकल्प जमाकर्ता के पास निहित होगा।

ⁱⁱ इसे 17 जून, 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – जमाओं पर ब्याज दर) संशोधन निदेश, 2026 (दिनांक 17 जून, 2026) के तहत शामिल किया गया है।

सी. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमा के नवीकरण पर ब्याज की गणना

34. एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के नवीकरण पर ब्याज की गणना निम्नानुसार होगी:

(1) यदि परिपक्वता की तारीख से नवीनीकरण की तारीख तक की अवधि (दोनों दिन शामिल) 14 दिनों से अधिक नहीं है, तो इस प्रकार नवीनीकृत जमा की राशि पर देय ब्याज की दर नवीनीकरण की अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख को प्रचलित अथवा जमाकर्ता द्वारा नवीनीकरण की मांग की तारीख को प्रचलित ब्याज की उचित दर इनमें से, जो भी कम हो, होगी।

(2) नवीकरण के अन्य सभी मामलों में, नवीनीकृत राशि पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज दरें इसे एक नई मियादी जमा के रूप में मानकर निर्धारित की जाएंगी।

(3) यदि, नवीकरण के बाद, योजना के तहत न्यूनतम निर्धारित अवधि के पूरा होने से पहले जमा राशि वापस ले ली जाती है, तो फेमा, 1999 के तहत अधिकृत बैंक, अपने विवेक पर, अतिदेय अवधि अर्थात्, परिपक्वता की मूल तिथि से परे की अवधि के लिए भुगतान किए गए ब्याज की वसूली कर सकता है।

डी. दिवंगत विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाते (बैंक) {एफसीएन आर(बी)} जमाकर्ता की जमा राशि पर देय ब्याज

35. एक बैंक दिवंगत एफसीएनआर (बी) व्यक्तिगत जमाकर्ता अथवा दो अथवा दो से अधिक संयुक्त जमाकर्ताओं, जहां जमाकर्ताओं में से एक की मृत्यु हो गई है के नाम पर धारित मियादी जमाराशियों पर, निम्नानुसार ब्याज का भुगतान करेगा:

(1) यदि जमा की परिपक्वता पर भुगतान किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जाएगा।

(2) यदि परिपक्वता तिथि से पहले जमा का दावा किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान अनुबंधित दर पर नहीं बल्कि उस अवधि के लिए लागू दर पर किया जाएगा जिसके लिए जमा बैंक के पास उपलब्ध था और पूर्व-भुगतान के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(3) यदि जमाकर्ता की मृत्यु जमा की परिपक्वता की तारीख से पहले हो जाती है, लेकिन परिपक्वता की तारीख के बाद जमा राशि का दावा किया जाता है, तो परिपक्वता की तारीख तक अनुबंधित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और परिपक्वता तारीख के बाद जितनी अवधि तक जमा रकम बैंक पास रही, उस अवधि के लिए परिपक्वता की तारीख पर लागू दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

(4) जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, जमा की परिपक्वता की तारीख के बाद, आरएफसी खाता योजना के

तहत रखी गई बचत जमा के संबंध में परिपक्वता की तारीख को लागू ब्याज दर का भुगतान परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक किया जाएगा।

(5) यदि दावेदार निवासी हैं, तो परिपक्वता आय को परिपक्वता की तारीख को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा और बाद की अवधि के लिए ब्याज का भुगतान समान परिपक्वता की घरेलू मीयादी जमा पर लागू दर पर किया जाएगा।

ई. भारत लौटने पर अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} जमा पर ब्याज का भुगतान

36. बैंक, जमाकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर, अपने विवेकानुसार, स्थायी निवास के लिए भारत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के व्यक्तियों की एफसीएनआर(बी) जमाराशियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन, संविदा में तय ब्याज दर पर परिपक्वता तक जारी रखने की अनुमति दे सकता है:

- (1) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर लागू ब्याज दर जारी रहेगी।
- (2) इस तरह की जमाराशियों को खाताधारक की भारत वापसी की तारीख से निवासी जमा के रूप में माना जाएगा।
- (3) परिपक्वता पर एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को खाताधारक के विकल्प पर निवासी रुपया जमा खाते अथवा आरएफसी खाते (यदि पात्र हो) में परिवर्तित किया जाएगा।
- (4) नई जमा राशि (रुपया खाता अथवा आरएफसी खाता) पर ब्याज की दर ऐसे जमा खाते के लिए लागू प्रासंगिक दर होगी।

एफ. लौटने वाले भारतीयों के विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंक) {एफसीएनआर(बी)} खातों को निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खातों / निवासी रुपया खातों में परिवर्तित करना - ब्याज का भुगतान

37. इन निदेशों के पैरा 6 में दी गई शर्तों के अधीन, एक बैंक एफसीएनआर (बी) खाते को आरएफसी/निवासी रुपया खाते में बदलने के समय ब्याज का भुगतान करेगा, भले ही जमा ने ऊपर पैराग्राफ 31(2)(i) में उल्लिखित न्यूनतम परिपक्वता अवधि पूरी नहीं की हो।

बशर्ते कि ब्याज की दर आरएफसी खाता योजना के तहत रखी गई बचत बैंक जमाराशियों पर देय दर से अधिक न हो।

जी. विदेशी मुद्रा जमा की समयपूर्व आहरण

38. जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक एफसीएनआर (बी) योजना के तहत जमाराशियों की समयपूर्व आहरण की अनुमति देगा।

39. यदि एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की समय से पहले निकासी उपर्युक्त पैरा 31(2)(i) में उल्लिखित न्यूनतम निर्धारित अवधि के पूरा होने से पहले होती है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

एच. विदेशी मुद्रा जमा की समयपूर्व आहरण पर जुर्माना

40. निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की किसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, द्वारा अनुमोदित एफसीएनआर (बी) मियादी जमाराशियों की समयपूर्व निकासी के लिए दंड के संबंध में एक व्यापक नीति होगी, जो निम्नलिखित के अधीन होगी:

- (1) जमा स्वीकार करते समय जुर्माने के घटकों को जमाकर्ताओं के ध्यान में स्पष्ट रूप से लाया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर, समयपूर्व निकासी से होने वाली विनिमय हानि बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
- (2) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की समय से पहले निकासी पर जुर्माना लगाया जाएगा
 - (i) जब जमाकर्ता स्थायी निपटान के लिए भारत लौटते हैं।
 - (ii) एफसीएनआर (बी) जमाराशियों को एनआरई जमाराशियों में परिवर्तित करने के लिए अथवा इसके विपरीततया।
- (3) दावेदार(रों) के अनुरोध पर मीयादी जमा की राशि के विभाजन के मामले में, मीयादी जमा की समय से पहले निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, यदि जमा की अवधि और कुल राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो।
- (4) एक बैंक, अपने विवेक पर, एफसीएनआर (बी) जमाराशियों की समय से पहले निकासी के मामले में स्वैप लागत की वसूली के लिए जुर्माना लगाएगा।
- (5) अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत लौटने पर एफसीएनआर (बी) जमाराशियों में रखी शेष राशि को आरएफसी खातों में समय से पहले बदलने के मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
- (6) जहां इन निदेशों के पैरा 6(9) में उल्लिखित बैंक की शाखा के जमाकर्ता किसी अन्य बैंक को कारोबार के अंतरण के परिणामस्वरूप जमा का समयपूर्व आहरण करना चाहते हैं वहां समयपूर्व आहरण के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

आई. निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना

41. किसी बैंक को निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की किसी समिति जिसे शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं द्वारा

विधिवत अनुमोदित जमाराशियों पर ब्याज दर पर व्यापक नीति के अनुसार, आरएफसी खाता योजना के तहत उसके द्वारा स्वीकार किए गए अथवा उसके द्वारा नवीनीकृत धन की जमा राशि पर ब्याज निर्धारण करने की स्वतंत्रता होगी ।

अध्याय VI: निषेध और छूट

ए.निषेध

42. एक बैंक द्वारा निम्नलिखित नहीं किया जाएगा:

(1) किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जमा राशि पर, किसी भी रूप अथवा तरीके किसी भी पारिश्रमिक अथवा शुल्क अथवा कमीशन अथवा ब्रोकरेज अथवा प्रोत्साहन का भुगतान करें, सिवाय:

- (i) एक विशेष योजना के तहत डोर-टू-डोर डिपॉजिट एकत्र करने के लिए नियोजित एजेंटों को कमीशन।
- (ii) बैंक द्वारा आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत डायरेक्ट सेलिंग एजेंटों/डायरेक्ट मार्केटिंग एजेंटों को दिया जाने वाला कमीशन।
- (iii) कारोबार सुलभकर्ता अथवा कारोबार प्रतिनिधि को दिया जाने वाला पारिश्रमिक।

(2) पुरस्कार/लॉटरी/मुफ्त यात्राएं (भारत और/या विदेश में), आदि, अथवा जमा राशि जुटाने के लिए किस्मत पर निर्भर करने वाली किसी अन्य पहल का प्रस्ताव करें। हालाँकि, डिपॉजिट लेते समय बैंक अपनी मर्जी से जमाकर्ताओं को सस्ते तोहफे दे सकते हैं, जिनकी कीमत ₹250/- से ज्यादा न हो; यह रकम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) ने अपने बनाए गए आधारभूत नियमों और आचार संहिता के तहत तय की है।

(3) मौजूदा/संभावित उधारकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एजेंटों/तीसरे पक्ष के माध्यम से संसाधन जुटाने की अनैतिक तरीकों का सहारा लेना अथवा जमा जुटाने पर विचार के आधार पर बिचौलियों को ऋण प्रदान करना।

(4) जनता से जमाराशियों का अनुरोध करने वाला कोई भी विज्ञापन/साहित्य जारी करना जिसमें विशेष अवधि के लिए बैंक द्वारा प्रस्तावित साधारण ब्याज की वास्तविक दर का उल्लेख किए बिना केवल मियादी जमाराशियों पर चक्रवृद्धि प्रतिफल को उजागर किया गया हो। जमा की अवधि के लिए प्रति वर्ष ब्याज की साधारण दर को निरपवाद रूप से दर्शाया जाना चाहिए।

(5) चालू खाते के अलावा ब्याज मुक्त जमा स्वीकार करें अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुआवजे का भुगतान करें।

(6) किसी भी व्यवस्था के तहत निजी फाइनेंसर्स अथवा अनिगमित निकायों के कहने पर/जमा राशि स्वीकार करना, जो अथवा तो निजी फाइनेंसर्स के ग्राहकों के पक्ष में जमा रसीद जारी करने अथवा ऐसे

ग्राहकों के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, नामांकन अथवा अन्यथा द्वारा एक प्राधिकरण देने का प्रावधान करता है, परिपक्वता पर ऐसी जमा प्राप्त करने के लिए।

(7) अन्य बैंकों के पास रखी गई मियादी जमाराशियों के लिए अग्रिम अनुदान ।

(8) सरकारी विभागों/निकायों, जो उनके कार्यों के निष्पादन के लिए बजटीय आवंटन पर निर्भर करता है/नगर निगमों अथवा नगर समितियों / पंचायत समितियों/राज्य आवास बोर्डों/जल और सीवरेज/ड्रेनेज बोर्डों/राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगमों/समितियों/महानगर विकास प्राधिकरण/राज्य/जिला स्तरीय आवास सहकारी समितियों, आदि, अथवा किसी राजनीतिक दल अथवा किसी भी व्यापार/कारोबार अथवा या व्यावसायिक संबन्धित, चाहे ऐसी कंपनी किसी मालिकाना हक अथवा साझेदारी फर्म अथवा कंपनी अथवा कोई संघ और इकाइयों के नाम पर बचत जमा खाता खोलें, सिवाए व्यक्तियों , एचयूएफ का कर्ता और [अनुसूची-I](#) में सूचीबद्ध संगठन/एजेंसियां।

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'राजनीतिक दल' का अर्थ है भारत के व्यक्तिगत नागरिकों का एक संघ अथवा निकाय, जो चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के तहत एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत है अथवा समझा जाता है, जैसा कि कुछ समय के लिए लागू है।

नोट: सरकारी वित्त पोषण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बचत बैंक खाता किसी निजी संस्था के नाम पर नहीं खोला जा सकता है।

(9) जमाकर्ताओं के परामर्श से दानार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी निधि बनाना।

बी. छूट

43. उपरोक्त पैराग्राफ के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे:

(1) बैंक द्वारा प्राप्त जमा:

(i) ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के रूप में कॉल/नोटिस/टर्म मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति प्राप्त संस्थानों से।

(ii) जिसके लिए उसने भागीदारी प्रमाण पत्र जारी किया है।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 की उप-धारा (2), धारा 54ख की उप-धारा (2), धारा 54 घ की उप-धारा (2), धारा 54 एफ की उप-धारा (4) और धारा 54 जी की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा बैंकों के लिए पूंजीगत लाभ लेखा योजना, 1988 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(iv) बैंकों के लिए जमा प्रमाणपत्र योजना के तहत।

(2) चेक, ड्राफ्ट, बिल, टेलीग्राफ/मेल ट्रांसफर आदि जैसे बाहरी लिखतों के विलंबित संग्रह पर ब्याज का भुगतान।

अनुसूची-1

- i. प्राथमिक सहकारी ऋण समिति जिसे बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।
- ii. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
- iii. कृषि उत्पादन बाज़ार समितियां।
- iv. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में लागू किसी अन्य समतुल्य कानून के तहत पंजीकृत सोसायटी, राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियमों और भूमि बंधक बैंकों का निर्माण करने वाले विशिष्ट राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी को छोड़कर।
- v. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के समतुल्य प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कंपनियां और जिन्हें अपने नाम में 'लिमिटेड' अथवा 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द नहीं जोड़ने की अनुमति है।
- vi. पैराग्राफ 42(8) में उल्लिखित संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाएं, जिनकी संपूर्ण आय आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर के भुगतान से मुक्त है।
- vii. केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों/सब्सिडियों के संबंध में सरकारी विभागों/निकायों/एजेंसियों को बचत बैंक खाता खोलने के लिए संबंधित केंद्र /राज्य सरकार के विभागों से प्राधिकरण प्रस्तुत करने की शर्त पर।
- viii. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए)।
- ix. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), पंजीकृत अथवा अपंजीकृत, जो अपने सदस्यों में बचत की आदतों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं।
- x. किसान क्लब – विकास स्वयंसेवक वाहिनी – वी.वी.वी.

अध्याय VII- निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

44. इन निदेशों के जारी होने के साथ, लघु वित्त बैंकों पर लागू जमाओं पर ब्याज दर से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से संप्रेषित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

45. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई उन्हीं के प्रावधानों द्वारा संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत प्रदत्त सभी अनुमोदन या स्वीकृतियां इन निदेशों द्वारा संचालित मानी जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

- 1) इसके तहत अर्जित, संचित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- (2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड;
- (3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार; और किसी भी ऐसे जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और किसी भी ऐसे जुर्माने, जब्ती या दंड को इस प्रकार लगाया जा सकता है मानो उन निदेशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों का लागू होना वर्जित नहीं

46. इन निदेशों के प्रावधान लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अप्रभावी करने वाले।

सी. व्याख्याएँ

47. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभाव देने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक यदि आवश्यक समझे तो यहाँ शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(डॉ सुदर्शन साहु)

मुख्य महाप्रबंधक